परिपत्र-02/2020

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन भवन", लोहागल-जनाना अस्पताल रोड़(सीकर रोड़) अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)(M)रिवीजन/परीक्षण/2020/1841 दिनांकः 14.10.2020

-:परिपत्रः-

विषयः- मुद्रांक प्रकरणों में कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने तथा पारित निर्णयों की मूल पत्रावलियाँ परीक्षण हेतु भिजवायें जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा मुद्रांक प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में पूर्व में जारी समस्त विभागीय परिपत्रों/आदेशों/निर्देशो को अधिक्रमित करते हुए मुद्रांक प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने एवं पत्रावलियाँ मुख्यालय को भिजवानें हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम-1998 की धारा 35, 37, 51, 53 व 55 में मुद्रांक प्रकरणों को कलक्टर(मुद्रांक) के यहाँ पर दर्ज कर राजस्थान स्टाम्प नियमान्तर्गत प्रक्रिया अपनायी जाकर निष्पादित दस्तावेजों को उनकी प्रकृति के अनुसार मुद्रांक कर निर्धारण करने के संबंध में निर्णय पारित करने के प्रावधान किये हुए है।

2. कलक्टर(मुद्रांक) के यहाँ दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66 एवं 67 में दी गयी निर्धारित प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त जांच(Summary Enquiry) की कार्यवाही 90 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण कलक्टर(मुद्रांक) स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

3. मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में नहीं होने से पक्षकारों को असुविधा होती है तथा राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय भी समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार एवं महालेखाकार कार्यालय के द्वारा भी मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित 90 दिवस की अवधि में नहीं करने कों गम्भीरता से लिया गया है। अतः आपके यहाँ दर्ज मुद्रांक प्रकरणों का ठोस साक्ष्यों व सबूतों के साथ स्पीकिंग आदेश से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से निस्तारित किया जावें।

4. मुद्रांक प्रकरणों में पारित आदेशों के परीक्षण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि अधिकांश मामलों में प्रश्नगत दस्तावेजों की समुचित जांच किये

बिना तथा सुसंगत प्रावधानों/अधिसूचनाओं का उल्लेख किये बिना आधार रहित निष्कर्ष एवं अस्पष्ट आदेश पारित किये जाते है। जिसके कारण निर्णयों के विरूद्ध रिवीजन/रिट याचिकाऐं प्रस्तुत होने पर राज्य हितों के विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः रैफरेन्स प्रकरणों को सही धाराओं में दर्ज कर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत समुचित जांच के बाद कारण एवं आधार सहित निष्कर्ष अभिलेखित करते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया जाना अपेक्षित होने से निर्णयों में निम्नानुसार सभी तथ्यों का समावेश किया जावें।

(i) प्रकरण संख्या व शीर्षक संबंधी सूचनाः–आदेश के प्रांरभ में प्रकरण संख्या, शीर्षक, उनवान दस्तावेज के दोनों पक्षकार के निष्पादन की दिनांक, प्रकरण दर्ज होने की दिनांक सहित रैफरेन्स का आधार व प्रस्तावित मालियत एवं अन्तर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क का विवरण अंकित किया जावें।

(ii) आदेश के प्रथम भाग में रैफरेन्स के संक्षिप्त तथ्य व प्रश्नगत सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अंकन किया जावें। सम्पत्ति की लोकेशन/ पहचान के संबंध में पूर्ण विवरण दिया जावें।

(iii) आदेश के द्वितीय भाग में रैफरेन्स के आधार, रैफरेन्स की प्रकृति व उसके समर्थन में राजकीय पक्ष में संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों का अंकन किया जावें। रैफरेन्स के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक कथन, सम्पत्ति मौका निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं गणनात्मक विवरण तथा वास्तविक वस्तुस्थिति का उल्लेख किया जावें।

(iv) आदेश कि तृतीय भाग में रैफरेन्स के नोटिसों की समुचित तामील के पश्चात् प्रतिपक्ष का जवाब व उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी जवाब व साक्ष्य पेश नहीं होने की स्थिति में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन भी निर्णय में किया जावें। एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय भी गुणावगुण के आधार पर सम्पूर्ण विवरण सहित स्पीकिंग रूप में पारित किया जावें।

(v) आदेश के अंतिम भाग में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों व साक्ष्यों पर विवेकपूर्ण मनन के पश्चात् अपने निष्कर्ष को अभिलिखित किया जावे व निष्कर्ष पर पहुँचनें के कारणों एवं आधारों का आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावें। यथा प्रश्नगत सम्पत्ति नगरीय सीमा/पैराफेरी क्षेत्र/पैराफेरी क्षेत्र के बाहर स्थित है, सम्पत्ति की सड़क/मुख्य/उपसड़क से स्पष्ट दूरी सहित सम्पत्ति के सामने स्थित रोड़/सड़क की चौड़ाई पर अवस्थित है। डी.एल.सी. द्वारा सम्पत्ति जिस क्षेत्र में स्थित है उसकी अनुमोदित

दर/विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भूमिकर, निरीक्षण आक्षेप, कृषि भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख, सम्पत्ति के लोकेशन व उपयोग के संबंध में दस्तावेज पंजीयन अधिकारी की मौका रिपोर्ट, निर्माण आर.सी.सी./चूना पत्थर /पट्टी पोश होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य आदि का समावेश आवश्यक रूप से किया जावें।

(vi) मुद्रांक प्रकरणों में पारित निर्णय अर्द्ध न्यायिक प्रकृति के होते है जिनमें प्रशासनिक आदेश/निर्देश दिये जाना अपेक्षित नहीं होते हैं।

5. मीटिंग के दौरान यह भी जानकारी में आया है कि कुछ विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश जारी किये हुए है जिसके कारण प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है। अतः ऐसे समस्त प्रकरणों की सूची तैयार कर अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर से सम्पर्क करें तथा प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र तैयार कराकर 15 दिवस में प्रस्तुत कराकर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवावें।

6. आपके कार्यालयों से प्राप्त निर्णित प्रकरणों की पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ अव्यवस्थित(unorganised) व सही प्रकार से संधारित नहीं की हुई है(not maintained properly) तथा कई बार पत्रावलियाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था (depleted condition) में भेजी जाती है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड में रिवीजन के प्रस्तुत किये जाने पर भी उक्त अभिलेख की आवश्यकता होती है । अभिलेख के संबंध में माननीय कर बोर्ड द्वारा भी समय-समय पर नाराजगी व्यक्त की है। अतः भविष्य में पत्रावली प्रेषित करते समय निम्नांकित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

(i) प्रत्येक पत्रावली पर फाईल कवर आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए।

(ii) पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ पर पेज संख्या अंकित हो।

(iii) पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड की अनुक्रमणिका(Index) तैयार कर फाईल कवर के भीतरी पृष्ठ पर लगाई जावें, तथा

(iv) इस अनुक्रमणिका(Index) के नीचे संबंधित अधिकारी का यह प्रमाण-पत्र लगाया जावे कि प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज इस पत्रावली में विद्यमान है।

7. उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए मुद्रांक प्रकरणों में सरकार के विरूद्ध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पारित निर्णयों की प्रतियाँ मय मूल पत्रावलियाँ प्रत्येक माह की सात तारीख तक मुख्यालय को विशेष वाहक से भिजवायी जावें। पारित निर्णयों की

प्रतियाँ तथा पत्रावलियाँ निम्न प्रारूप में सूचना तैयार कर भिजवावें, जिससे उनका परीक्षण कराकर रिवीजन करने अथवा नहीं करने का निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकें।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	निर्णय दिनांक	उप पंजीयक	उनवान (पक्षकार का नाम)	क्रेता/ विक्रेता द्वारा अंकित प्रतिफल	उप पंजीयक द्वारा निर्धारित रैफरेन्स मालियत	कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्धारित मालियत	विशेष विवरण (धाराएँ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\\

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :– एफ–7(482)(M)परीक्षण/2020/1842–2431 दिनांक 14.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव(कर), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी–सचिव, महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/ कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर/ मुख्यालय अजमेर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर।
10. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक) वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त आंतरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
16. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर